

2021 | 75

FORM NO. III

फर्द अहकाम


(नियम 26)

अज अदालत न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एवं जिला कलक्टर मुकाम करौली
जनवेद मीना पुत्र श्री प्रहलाद मीना ग्राम सपोटरा की झोपड़ी (भम्बुपुरा) तहसील सपोटरा जिला
करौली (राज0) - अपीलाण्ट

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सपोटरा - रेस्पोंडेंट
मु.नं. 44/2021 किस्म मुकदमा-अपील सूचना का अधिकार अधि. 2005 ता.रजु. 07.06.2021

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|----------------|---|--|
| 07.06. 2021 | <p>अपीलाण्ट द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सपोटरा को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) तहत आवेदन प्रेषित कर कस्बा सपोटरा की झोपड़ी भम्बुपुरा के राजकीय प्राथमिक विद्यालय भम्बुपुरा की सरकारी भूमि खसरा नंबर 478/2 व 478/3 से संबंधित कुल 16 बिन्दुओं की सूचना चाही गई थी। प्रत्यर्थी द्वारा आवेदक को सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण यह प्रथम अपील पेश की है।</p> <p>अपीलाण्ट की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अपील का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी को लोक सूचना अधिकारी एवं विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सपोटरा द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण यह अपील पेश की है। लोक सूचना अधिकारी एवं विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सपोटरा के प्रथम अपीलीय अधिकारी जिला कलक्टर नहीं है। अतः अपील अस्वीकार की जाती है। अपीलार्थी संबंधित विभाग के प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय में अपील पेश कर सकता है। निर्णय की प्रति अपीलाण्ट को भिजवाई जावे। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।</p> | <p>624 08.06.2021</p> |


प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर,
करौली